

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/399/स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

// कार्यालय आदेश //

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित हैं की सेवाएं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। वर्ष 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने व शासन को अनुबंध निष्पादित किये जाने से निम्नलिखित बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तिम रूप से म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम- 2018 के तहत वेतनमान रु 5200-20200+2800 ग्रेड पे म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	श्रेणी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनार्ड लकड़ा	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
2	कविता परिहार पिता श्री कुंवरसिंह परिहार	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
3	प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
4	प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
5	सुमित्रा वटके पिता श्री संतराम वटके	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म0प्र0 शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- आपकी नियुक्ति म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र, अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी ।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियों प्रस्तुत करना होगी ।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिवधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी ।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है ।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी ।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/-का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक / /स्था./ 2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, शा.चि.म. खण्डवा ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपालकी ओर सूचनार्थ ।
6. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सा शिक्षा) शा.चि.म. खण्डवा एवं जिला चिकित्सालय ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
9. संबंधित अभ्यार्थियों दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनाड लकड़ा को ओर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 400 / स्था. / 2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

// कार्यालय आदेश //

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित हैं की सेवाएं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। वर्ष 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने व शासन को अनुबंध निष्पादित किये जाने से निम्नलिखित बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तिम रूप से म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम- 2018 के तहत वेतनमान रु 5200-20200+2800 ग्रेड पे म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	श्रेणी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनार्ड लकड़ा	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
2	कविता परिहार पिता श्री कुंवरसिंह परिहार	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
3	प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
4	प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
5	सुमित्रा वटके पिता श्री संतराम वटके	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म0प्र0 शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- आपकी नियुक्ति म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र, अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी ।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी ।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिवधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी ।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/-का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक / /स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, शा.चि.म. खण्डवा।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपालकी ओर सूचनार्थ ।
6. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सा शिक्षा) शा.चि.म. खण्डवा एवं जिला चिकित्सालय।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।
9. संबंधित अभ्यार्थियों कविता परिवार पिता श्री कुंवरसिंह परिवार को ओर।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/401 /स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

// कार्यालय आदेश //

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित हैं की सेवाएं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। वर्ष 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने व शासन को अनुबंध निष्पादित किये जाने से निम्नलिखित बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तिम रूप से म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम- 2018 के तहत वेतनमान रु 5200-20200+2800 ग्रेड पे म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	श्रेणी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनार्ड लकड़ा	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
2	कविता परिहार पिता श्री कुंवरसिंह परिहार	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
3	प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
4	प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
5	सुमित्रा वटके पिता श्री संतराम वटके	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म0प्र0 शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- आपकी नियुक्ति म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र, अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी ।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी ।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिवधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी ।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी ।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है ।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/-का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

कमांक / /स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, शा.चि.म. खण्डवा ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपालकी ओर सूचनार्थ ।
6. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सा शिक्षा) शा.चि.म. खण्डवा एवं जिला चिकित्सालय ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
9. संबंधित अभ्यार्थियों प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम को ओर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 402 / स्था. / 2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

// कार्यालय आदेश //

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित हैं की सेवाएं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। वर्ष 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने व शासन को अनुबंध निष्पादित किये जाने से निम्नलिखित बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तम रूप से म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम- 2018 के तहत वेतनमान रु 5200-20200+2800 ग्रेड पे म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	श्रेणी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनार्ड लकड़ा	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
2	कविता परिहार पिता श्री कुंवरसिंह परिहार	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
3	प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
4	प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
5	सुमित्रा वटके पिता श्री संतराम वटके	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म0प्र0 शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- आपकी नियुक्ति म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि ,स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र, /अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी ।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियों प्रस्तुत करना होगी ।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिवधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी ।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है ।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी ।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत् प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/-का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

कमांक / /स्था./ 2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020.

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, शा.चि.म. खण्डवा ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपालकी ओर सूचनार्थ ।
6. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सा शिक्षा) शा.चि.म. खण्डवा एवं जिला चिकित्सालय ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
9. संबंधित अभ्यार्थियों प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी को ओर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/403 /स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

// कार्यालय आदेश //

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राएं जो शासकीय सेवा के लिए अनुबंधित हैं की सेवाएं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर की जाना है। वर्ष 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर से बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने व शासन को अनुबंध निष्पादित किये जाने से निम्नलिखित बी.एस.सी. नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष) परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्टाफ नर्स (स्वशासी) के पद पर अनन्तिम रूप से म0प्र0 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम- 2018 के तहत वेतनमान रु 5200-20200+2800 ग्रेड पे म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	छात्रा का नाम एवं पिता का नाम	श्रेणी	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	दीप्ती लकड़ा पिता श्री बेरनार्ड लकड़ा	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
2	कविता परिहार पिता श्री कुंवरसिंह परिहार	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
3	प्रमिला कुंजाम पिता श्री बृम्हानन्द कुंजाम	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
4	प्रिती ओसारी पिता श्री मोहनसिंह ओसारी	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा
5	सुमित्रा वटके पिता श्री संतराम वटके	अजजा	चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय एवं संबद्ध जिला चिकित्सालय खण्डवा

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म0प्र0 शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यता कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
- आपकी नियुक्ति म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाफपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र, अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.) 450001, दूरभाष- 0733-2245000,2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी ।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियों प्रस्तुत करना होगी ।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय संलग्न प्रारूप में 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिवधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है ।
15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी ।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है ।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबत प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/-का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक / /स्था./2020

खण्डवा, दिनांक :- 19/03/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, शा.चि.म. खण्डवा ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपालकी ओर सूचनार्थ ।
6. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक (चिकित्सा शिक्षा) शा.चि.म. खण्डवा एवं जिला चिकित्सालय ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा ।
9. संबंधित अभ्यार्थियों सुमिता वत्के पिता श्री संतराम वत्के को ओर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)